



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1722]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2014/भाद्र 11, 1936

No. 1722]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2014/BHADRA 11, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2014

का.आ. 2205(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii), संख्या का.आ. 689(अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 के तहत प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

अनुसूची में क्रम संख्या 11, 262, 265 के लिए और इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

(1)	(2)	(3)
“11	703	पंजाब राज्य में रारा-3 पर जालंधर के निकट अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नाकोदर, मोगा, बदनी, बरनाला, हंडिया, मनसा, झुनीर, और हरियाणा राज्य में सरदुलगढ़ को जोड़ते हुए सिरसा के निकट रारा सं. 9 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
262	344ए	पंजाब राज्य में फगवाड़ा के निकट नए रारा सं. 44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर फगवाड़ा बाइपास, बंगा, नवांशहर, बालाचुर को जोड़ते हुए और रूपनगर के निकट नए रारा सं. 205 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
265	754	पंजाब राज्य में भटिंडा के निकट नए रारा सं. 54 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मुक्तसर को जोड़ते हुए और जलालाबाद में समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-12)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 1522(अ) तारीख 13 जून, 2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2014

S.O. 2205(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 11, 262, 265 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
“11	703	The highway starting from its junction near Jalandhar on NH-3 connecting Nakodar, Moga, Badhni, Barnala, Handiaya, Mansa, Jhunir in the State of Punjab, Sardulgarh and terminating at its junction with new NH No. 9 near Sirsa in the State of Haryana.
262	344A	The highway starting from its junction with new NH No. 44 near Phagwara connecting Phagwara bypass, Banga, Nawanshahr, Balachur and terminating at its junction with new NH No. 205 near Rupnagar in the State of Punjab.
265	754	The highway starting from its junction with new NH No. 54 near Bathinda connecting Muktsar and terminating at Jalalabad in the State of Punjab.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-12)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Foot Note : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O.689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 1522(E), dated 13th June, 2014.